BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 203 of 2023

IN THE MATTER OF:
Tushar Goswami

......Applicant

Versus

Union of India & Ors.

.....Respondent(s)

Supplementary Affidavit of the Additional Chief Secretary, Environment, Uttar Pradesh in compliance to the order dated 30.10.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal

I, **Manoj Singh** aged about 58 years S/o of late Shri Survyay Singh presently posted as Additional Chief Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under;

1. That the deponent is presently posted as an Additional Chief Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department and in its capacity he is well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized to swear this reply affidavit.
2. That in the present case the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the following order vide its order dated 30.10.2023 deposed herein under;

"......15. So far as the past violation is concerned, Shri Manoj Kumar, ACS for State of UP has submitted that action has been initiated to impose fine at the rate of Rs. 12,500 per day. He is directed to place on record the complete details with full particulars of the action initiated against the private respondents for past violations by submitting his affidavit in this regard within two weeks........"

3. That in compliance to the order dated 30.10.2023 passed by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 203/2023, an affidavit dated 17.11.2023 has been submitted before Hon'ble Tribunal, New Delhi. A copy of the Affidavit dated 17.11.2023 is being attached herewith and marked as **Annexure No.-1** to this Supplementary Affidavit.

4. That in pursuance to a show cause notice dated 06.11.2023, Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 23.11.2023 has imposed the Environmental Compensation of Rs. 17,12,500/- each against both the responsible Project Proponents i.e. M/s Preveg Communication (India) Limited and M/s Lalloo Ji & Sons for a default period of 15.01.2023 to 31.05.2023 for operation of the Tent City at Varanasi by them without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the letter dated 23.11.2023 are being annexed herewith as **Annexure-2 & 3** to this Supplementary Affidavit.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn- 18943/18 Ex. Dt-28-01-2025 GOVT. OF INDIA

The above additional facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true to my personal knowledge on the basis of the concerned documents. No part of this is false and nothing material has been concealed.

VERIFIED ON THIS THE 28.. DAY OF NOVEMBER, 2023, AT ....

Deponent

Sworn and verified before me
28/11/23
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/18

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Regn- 10943/18
Ex. Dt-28.04.2026
GOVT. OF INDIA

Hari Kishor
I know & identify the deponent/Executant who has signed/ put his T.I. before me
En. No - 380710 8

Annexure No.-1

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 203 of 2023

NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

Tushar Goswami

......Applicant

Versus

Union of India & Ors.

NOTARIAL

.....Respondent(s)

Reply on behalf of the Additional Chief Secretary, Environment, Uttar Pradesh in compliance to the order dated 30.10.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal

I, **Manoj Singh** aged about 58 years S/o of late Shri Survyay Singh presently posted as Additional Chief Secretary, Forest, Environment & Climate Change Department, U.P. do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That the deponent is presently posted as an Additional Chief Secretary, Forest, Environment & Climate Change Department and in its capacity he is well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized to swear this reply affidavit.
2. That in the present case the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the following order vide its order dated 30.10.2023 deposed herein under;

"......15. So far as the past violation is concerned, Shri Manoj Kumar, ACS for State of UP has submitted that action has been initiated to impose fine at the rate of Rs. 12,500 per day. He is

directed to place on record the complete details with full particulars of the action initiated against the private respondents for past violations by submitting his affidavit in this regard within two weeks........"

3. That in pursuance to the Joint Committee Report dated 24.05.2023, a show cause notice dated 06.11.2023 has been issued by UPPCB against the responsible Project Proponents i.e. M/s Preveg Communication (India) Limited and M/s Lalloo Ji & Sons in question for imposition of Environmental Compensation of Rs. 12500/- per day in accordance with the Guideline prepared by CPCB titled as "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to utilize the Fund" for a period of 15.01.2023 to 31.05.2023 for operation of the Tent City at Varanasi by them without obtaining prior consent to operate under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the Show Cause Notices dated 06.11.2023 are being annexed herewith as **Annexure-1 & 2** to this reply.

4. That in the present case the following methodology has been adopted to calculate the amount of Environmental Compensation on the basis of CPCB guideline mentioned above-

The Environmental Compensation per Day is calculated as:

$$EC = PIxNxRxSxLF$$

Where,

EC is Environmental Compensation in Rupees.

PI= Pollution Index i.e. 50 Average PI for Orange Category.

N= Number of Days i.e. 01.

R= A factor in Rupees for EC i.e. 250.

S= Factor for scale of operation i.e. 0.5

LF= Location Factor i.e. 2.0 for Population 10 million and above.

Hence, the Environmental Compensation per Day comes as:

$$EC = 50x1x250x0.5x2$$

$$EC = 12500/-$$

5. That UPPCB has been directed to take action in accordance with law against the violation found by the Joint Committee Report dated 24.05.2023.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn- 10943/15 GOVT. OF INDIA

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true to my personal knowledge on the basis of the concerned documents. No part of this is false and nothing material has been concealed.

VERIFIED ON THIS THE ..17.. DAY OF NOVEMBER, 2023, AT ....

I know & Identify the deponent / Executant who has signed / put his T.I. before me

Hari Kishor Adv. EN. 3807/08 UP

Sworn and Verified before me.

NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

Deponent

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-1
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

F. No. H02686/सी–6/ NOC-167/23 Dated 06/11/23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन (इण्डिया) लि0,
214, एथिना एवेन्यू, जैगवार शोरूम के पीछे, एसजी हाइवे,
गोटा, अहमदाबाद,
गुजरात–382481।
M.N. 6353395698

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानुसार जनपद वाराणसी में अस्थाई टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी के साथ अनुबन्ध करते हुए उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित किया गया है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2023 के माध्यम से मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी को सशर्त स्थापनार्थ सहमति निर्गत की गयी है, जिनमें यह भी विशिष्ट शर्त अधिरोपित की गयी थी कि गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाये, किन्तु आप द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से इकाई की स्थापना हेतु अनुमति के संबंध में सूचना राज्य बोर्ड को उपलब्ध नही करायी गयी है तथा आप द्वारा उक्त स्थापनार्थ सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या भी राज्य बोर्ड को प्रेषित नही की गयी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 203/2023 तुषार गोस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण दि0 02.05.2023 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

"...... iii) The agreement between VDA and tent city holder is for five years. It is informed by Project Proponent (PP) that construction of the tent city was started on 01.12.2022. It is made operational on 15.01.2023 and proposed to be closed by 31.05.2023. PP has also informed that all the tents and structures will be removed by 30.06.2023.........."

"...... v) Committee observed that the project is operational without getting Consent to Operate (CTO) from UPPCB violating the condition no. 4 of the CTE which clearly states that the "industry will not start its operation, unless CTO is obtained under Water and Air act"......"

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्यानुसार मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी द्वारा पैच संख्या–01 में 58 टेन्ट (08 अदद् गंगा विला टेन्ट, पच पूल के साथ, 11 अदद् दरबारी पंच पूल के साथ एवं 38 काशी स्वीट टेन्ट) एवं पैच संख्या–02 में 82 टेन्ट (18 अदद् गंगा विला दर्शन टेन्ट पंच पूल के साथ, 29 अदद् प्रीमियम टेन्ट एवं 35 डीलक्स टेन्ट), 02 कमरों का एक अदद् स्पा, एक अदद् डाईनिंग हाल, कॉन्फ्रेंस हाल एवं एक अदद् लाइब्रेरी विद आर्ट एण्ड काफ्ट रूम विकसित किये गये थे विकसित किया गया था। इकाई के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 31.05.2023 से टेन्ट सिटी में बुकिंग बन्द कर दी गयी है तथा दोनो टेन्ट सिटी के समस्त स्ट्रक्चर दिनांक 18.06.2023 को पूर्ण रूप से हटा लिये गये हैं।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–203/2023 तुषार गोस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 02.05.2023 में पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत अस्थायी टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु उत्तरदायी विभाग यथा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना टेन्ट सिटी का संचालन कराये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

यह कि अस्थायी टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 04.07.2023 के माध्यम से सशर्त संचालनार्थ सहमति इस विशिष्ट शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्राविधानों

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा इकाई की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त सहमति मान्य होगी, किन्तु उक्त अनुमति के सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना राज्य बोर्ड को उपलब्ध नही करायी गयी है।

यह कि कार्यदायी संस्था मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी को उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विशिष्ट रूप से राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति की विशिष्ट शर्त संख्या–4 एवं संचालनार्थ सहमति की विशिष्ट शर्त संख्या–3 के उल्लंघन के दृष्टिगत क्षेत्रीय आधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना इकाईयों का संचालन किये जाने हेतु इकाई के विरूद्ध उल्लंघन अवधि (दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक) हेतु नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के ऑकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के संबंध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 12500/– (रू0 बारह हजार पॉच सौ पचहत्तर मात्र) प्रतिदिन आती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही टेन्ट सिटी का संचालन किये जाने के कारण रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक) हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 12500/– प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-2
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

F. No. H02686/सी-6/ NOC-166/23 Dated 06/11/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स,
ए-2, शिवालिक बिजनेस सेन्टर, एसजी हाइवे,
राजपथ क्लब, अहमदाबाद,
गुजरात-382481।
मो०नं०-7984643270

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानुसार जनपद वाराणसी में अस्थाई टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच-3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी के साथ अनुबन्ध करते हुए उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित किया गया है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2023 के माध्यम से मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच-3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी को सशर्त स्थापनार्थ सहमति निर्गत की गयी है, जिनमें यह भी विशिष्ट शर्त अधिरोपित की गयी थी कि गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाये, किन्तु आप द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से इकाई की स्थापना हेतु अनुमति के संबंध में सूचना राज्य बोर्ड को उपलब्ध नही करायी गयी है तथा आप द्वारा उक्त स्थापनार्थ सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या भी राज्य बोर्ड को प्रेषित नही की गयी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2023 तुषार गोस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 02.05.2023 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत हैः-

"...... iii) The agreement between VDA and tent city holder is for five years. It is informed by Project Proponent (PP) that construction of the tent city was started on 01.12.2022. It is made operational on 15.01.2023 and proposed to be closed by 31.05.2023. PP has also informed that all the tents and structures will be removed by 30.06.2023........."

"...... v) Committee observed that the project is operational without getting Consent to Operate (CTO) from UPPCB violating the condition no. 4 of the CTE which clearly states that the "industry will not start its operation, unless CTO is obtained under Water and Air act"......"

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्यानुसार मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच-3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी द्वारा पैच-3 में 120 टेन्ट (04 फेज में टेन्ट प्रत्येक फेज में 30 टेन्ट) विकसित किया गया था। इकाई के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 31.05.2023 से टेन्ट सिटी में बुकिंग बन्द कर दी गयी है तथा दोनो टेन्ट सिटी के समस्त स्ट्रक्चर दिनांक 30.06.2023 को पूर्ण रूप से हटा लिये गये हैं।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-203/2023 तुषार गोस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 02.05.2023 में पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत अस्थायी टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु उत्तरदायी विभाग यथा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना टेन्ट सिटी का संचालन कराये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

यह कि अस्थायी टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच-3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से सशर्त संचालनार्थ सहमति इस विशिष्ट शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा इकाई की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त सहमति मान्य होगी, किन्तु उक्त अनुमति के सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना राज्य बोर्ड को उपलब्ध नही करायी गयी है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

यह कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच–3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी को उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विशिष्ट रूप से राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति की विशिष्ट शर्त संख्या–4 एवं संचालनार्थ सहमति की विशिष्ट शर्त संख्या–3 के उल्लंघन के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना इकाईयों का संचालन किये जाने हेतु इकाई के विरूद्ध उल्लंघन अवधि (दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक) हेतु नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के ऑकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के संबंध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 12500/– (रू0 बारह हजार पॉच सौ पचहत्तर मात्र) प्रतिदिन आती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच–3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही टेन्ट सिटी का संचालन किये जाने के कारण रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक) हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 12500/– प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

Annexure No.-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No....H03240../C-6/167/निक्षेप/VNS/2023 Date..23/11/23

ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन (इण्डिया) लि0,
214, एथिना एवेन्यू, जैगवार शोरूम के पीछे, एसजी हाइवे,
गोटा, अहमदाबाद,
गुजरात–382481।
M.N. 6353395698

विषयः इकाई मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.11.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच.02687/सी0–6/एनओसी/167/वाराणसी/2023 दिनांक 06.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई मेसर्स प्रवेग कम्युनिकेशन इण्डिया लि0 (वर्तमान नाम मेसर्स प्रवेग लि0), टेन्ट सिटी, वाराणसी, पैच नं0–1 एवं 2, अदर साइड ऑफ गंगा रिवर, कटेसर, वाराणसी के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही टेन्ट सिटी का संचालन किये जाने के कारण रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक) हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके संबंध में कोई उत्तर अथवा प्रत्यावेदन राज्य बोर्ड को प्राप्त नही हुआ है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 23.11.2023 द्वारा संस्तुति आख्या प्रेषित की गई है। आख्यानुसार इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित उल्लंघन अवधि दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक (कुल 137 दिन) के सापेक्ष रू0 12500/– प्रतिदिन की दर से कुल अवधि 137 दिन हेतु रू0 1712500/– (रू0 सत्तरह लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.11.2023 को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये इकाई के विरूद्ध रू0 1712500/– (रू0 सत्तरह लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.11.2022 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के अधीन निस्तारित किया जाता है:–

1. इकाई के विरूद्ध 137 उल्लंघनकारी दिवस हेतु रू0 1712500/– **(रू0 सत्तरह लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC** कोड **UBIN 0570150** में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्राविधानों इकाई द्वारा के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा इकाई की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अस्थायी टेन्ट सिटी का कार्य किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Annexure No.-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No....H03249.../ C-6/166/निक्षेप/VNS/2023 Date. 28/11/23

ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स,
ए–2, शिवालिक बिजनेस सेन्टर, एसजी हाइवे,
राजपथ क्लब, अहमदाबाद,
गुजरात–382481।
मो० नं०- 7984643270

विषयः इकाई मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच–3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.11.2023 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच.02686/सी0–6/एनओसी/166/वाराणसी/2023 दिनांक 06.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इकाई मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स (टेन्ट सिटी), निरान द टेन्ट सिटी, पैच–3, अदर साईट ऑफ रिवर गंगा, कटेसर, रामनगर, वाराणसी के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही टेन्ट सिटी का संचालन किये जाने के कारण रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से उल्लंघन अवधि (दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक) हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके संबंध में कोई उत्तर अथवा प्रत्यावेदन राज्य बोर्ड को प्राप्त नही हुआ है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 23.11.2023 द्वारा संस्तुति आख्या प्रेषित की गई है। आख्यानुसार इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित उल्लंघन अवधि दिनांक 15.01.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक (कुल 137 दिन) के सापेक्ष रू0 12500/– प्रतिदिन की दर से कुल अवधि 137 दिन हेतु रू0 1712500/– (रू0 सत्तरह लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.11.2023 को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये इकाई के विरूद्ध रू0 1712500/– (रू0 सत्तरह लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.11.2022 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के अधीन निस्तारित किया जाता है:–

1. इकाई के विरूद्ध 137 उल्लंघनकारी दिवस हेतु **रू0 1712500/– (रू0 सत्तरह लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC** कोड **UBIN 0570150** में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. गंगा नदी (पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्राविधानों इकाई द्वारा के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा इकाई की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अस्थायी टेन्ट सिटी का कार्य किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com